छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 5–10/2017/18 नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल, 2017

प्रति

1. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिक निगम
   छत्तीसगढ़ ।
2. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़।

विषय :– पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना।

––0––

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में राज्य प्रवर्तित पं. दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना लागू की जा रही है, जिस हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है।

कृपया दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एच.आर. दुबे) 19/4
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्रमांक : एफ 5–10/2017/18 नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, मानीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर।
4. मुख्य अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर।
5. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. रिकार्ड फाईल,

अवर सचिव 19/4
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पं. दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना

दिशा – निर्देश

1. उद्देश्य :–

नगरीय क्षेत्रों में वैवाहिक, मांगलिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त भवन के अभाव होने के कारण सर्व समाज के नागरिकों को फिजूल खर्ची एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, अतः उक्त प्रयोजन के सुव्यवस्थित आयोजनों के लिये पर्याप्त खुली भूमि, पार्किंग के साथ सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन का निर्माण इस योजना अंतर्गत कराया जा सकेगा। निकाय क्षेत्रों में निर्मित मांगलिक भवनों का उपयोग सर्व समाज द्वारा नगरीय निकायों को निर्धारित शुल्क देकर किया जा सकेगा।

2. योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था :–

यह योजना प्रदेश की सभी नगरीय निकायों के लिए लागू होगी। मांगलिक भवन के निर्माण हेतु राज्य प्रवर्तित योजना मद से नगर पालिक निगम की स्थिति में रू. 300.00 लाख, नगर पालिका परिषद् में रू. 150.00 लाख तथा नगर पंचायतों हेतु रू. 75.00 लाख का अनुदान शासन द्वारा सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन निर्माण के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।

3. योजना का क्रियान्वयन :–

वैवाहिक, मांगलिक एवं सांस्कृतिक प्रयोजनों पर एकत्रित जन समुदाय तथा वाहनों से सड़कों में यातायात व्यवस्था पर विपरित प्रभाव के साथ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय जनों को मांगलिक भवन से जनित ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव का भी सामना करना पड़ता है।

अतएव इस प्रयोजन हेतु नगर के बाह्य क्षेत्र में स्थानीय जनों के सुगम आवागमन की दृष्टि से स्थल का चयन किया जाना चाहिए। उपयुक्त भूमि के अभाव में निकाय शासकीय भूमि की मांग जिला कलेक्टर से कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपनी निजी भूमि इस प्रयोजन हेतु दान में देना चाहे तो,

निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उचित पाये जाने की दशा में इस पर भी निर्माण करने का तथा दान दाता की इच्छा अनुसार भवन के सभागार/कक्षों का नामकरण करने के संबंध में निकाय अपनी योजना बना सकेगा।

मांगलिक भवन में, 10 फीट x 04 फीट आकार के 02 बोर्ड (जिसका बैकग्राउण्ड नीला व अक्षर सफेद रंग से लिखे जायेंगे) उचित स्थान पर प्रकाश व्यवस्था के साथ स्थापित किये जावेंगे।

4. योजना का स्वरूप :–

योजना के क्रियान्वयन के लिये सूडा द्वारा मॉडल ड्राइंग एवं प्राक्कलन तैयार कराये जावेंगे जिसके अनुरूप भवन का निर्माण कराया जा सकता है, किन्तु अपरिहार्य कारणों यथा– भूमि के आकार, उपलब्धता के दृष्टिगत प्रस्तावित मांगलिक भवन दो अथवा तीन तल में निर्मित हो सकेगा, जिसमें एक साथ दो कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। भवन में एक बड़ा हॉल तथा दो मध्यम/छोटे आकार के हॉल, नगर निगमों की स्थिति में कम से कम 40 कमरे, नगर पालिकाओं में 30 कमरे तथा नगर पंचायतों में 20 कमरे जिसमें बाथरूम, शौचालय संलग्न हो का निर्माण कराया जाना होगा। इसके साथ ही भवन में किचन, स्टोर, डायनिंग हॉल, कॉरीडोर, पार्किंग स्थल, लॉन एवं स्टेज, लैण्ड स्कैपिंग, बाउण्ड्रीवाल के भीतर निर्मित कराये जाने होंगे। भवन में 24 घण्टे पेयजल एवं पर्याप्त संख्या में प्रसाधन सुविधा, आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण, पहुँच मार्ग नाली आदि का निर्माण यथा आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

5. स्वीकृति की प्रक्रिया :–

योजना क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों द्वारा प्रस्ताव महापौर/अध्यक्ष परिषद् से अनुमोदन उपरांत चेकलिस्ट अनुसार पूर्ण प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति सहित राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रस्ताव परीक्षणोंपरान्त स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत प्रथम किश्त 50 प्रतिशत राशि निकाय को

अवमुक्त की जावेगा। उक्त राशि का 70 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सह फोटोग्राफ्स प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त राशि जारी की जावेगी।

6. भवन का संचालन एवं संधारण :–

भवन का संचालन दो रीति से किया जावेगा (अ) स्वयं निकाय द्वारा, (ब) एजेन्सी के माध्यम से।

(अ) स्वयं निकाय द्वारा :– मांगलिक भवन के रखरखाव एवं उद्यान, सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के संधारण का कार्य नगरीय निकाय द्वारा ठेके पर कराया जा सकेगा। जहॉ तक संभव हो इन भवनों के रखरखाव पर होने वाले व्यय की पूर्ति मात्र के लिये दैनिक किराये की दरों का निर्धारण नगरीय निकायों द्वारा सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित कर किया जावेगा, दैनिक किराये के साथ उपयोगकर्ता से वापसी योग्य सुरक्षित राशि भी जमा करायी जावे, जिससे भवन में उपयोग किये गये विद्युत व्यय तथा अन्य किसी नुकसान की क्षति पूर्ति यथा समय सुनिश्चित हो सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का पालन एवं यूजर चार्ज का भी भुगतान करने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा।

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भवन के उपयोगकर्ताओं के लिये निकायों द्वारा नियमावली तैयार कर पालन सुनिश्चित कराया जावेगा।

(ब) एजेन्सी के माध्यम से :– भवन के उपयोग हेतु दैनिक दरें नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित करने के उपरांत भवन के प्रबंधन/संचालन एवं संधारण के लिये निजी एजेन्सी का चयन टेण्डर आमंत्रित कर किया जा सकता है। ठेके के विस्तृत नियम शर्तें निकाय द्वारा निर्धारित की जावे।

7. भवनों के संचालन में सावधानियॉ :–

भवनों से उत्पन्न प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन उपयोगकर्ता/संचालनकर्ता को करना अनिवार्य होगा।

2. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 राज्य में प्रभावशील हैं, अतः नियम 5 के उपनियम (1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उायोग बिना जिलादण्डाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिये।

3. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 5 के उपनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार संचालनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि, भवन क्षेत्र में साउण्ड सिस्टम अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण के उपयोग के कारण उस निजी क्षेत्र की सीमा पर ध्वनि स्तर उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर की सीमा से 5dB(A) से अधिक नहीं हो।

(एच.आर. दुबे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग